न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,धनबाद।

(छोटानागपुर काश्तकारीअधिनियम की धारा 46 के तहत अनुमति)

एम0 आर0 केश नं0— 145/2022—23

—:आदेश:—

अभिलेख आज उपस्थापित। आवेदक के आवेदन के आलोक में अंचल अधिकारी, बाघमारा के पत्रांक— 217, दिनांक— 24.02.2023 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से पता चलता है कि 1. रमेश महतो, 2. राजु महतो, पिता— स्व0 भागीरथ महतो, 3. धनंजय महतो, 4. संजय कुमार महतो, पिता— स्व0 गजाधर महतो, सभी साकिम— बांसकपुरियाँ पो0— भेलाटॉड़, थाना— कतरास, जिला— धनबाद अपनी जमीन मौजा— बाँसकपुरिया, मौजा नं0— 227, गत् खाता नं0— 03, गत् प्लॉट सं0— 102,103,104,105,122 एवं 123, नया खाता सं0— 54, नया प्लॉट सं0— 310, 82/480, 264, क्रमशः रकवा— 04+01+93 डिसमील, कुल रकवा— 98 डिसमील भूमि क्रेता दिनेश कुमार महतो, पिता— मथुरा महतो, साकिम— टाटा सिजुआ, पो0— भेलाटॉड़, थाना— जोगता, जिला— धनबाद को बेचने की अनुमति चाहते है। अंचल अधिकारी ने अपने प्रतिवेदन मे प्रतिवेदित किया है कि विक्रेता एवं क्रेता एक ही जाति के कुर्मी है तथा विक्रेता थाना— कतरास एवं क्रेता थाना— जोगता, जिला— धनबाद के निवासी है। जमीन रैयती खाते की है, बिक्री के पश्चात् आवेदक के पास 11.43 एकड़ शेष भूमि बचती है। अंचल अधिकारी के द्वारा आवेदित भूमि की बिक्री हेतु अनुमति देने की अनुशंसा भी की गयी है।

अतः छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत आवेदक को प्रश्नगत जमीन बिक्री करने की अनुमति उपायुक्त द्वारा निर्धारित दर पर की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित,

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
धनबाद।

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
धनबाद।

Digitally signed by SATISH CHANDRA
Date: 2023.09.02 13:42:06 +05:30
Location: 192.168.29.168

Scanned by CamScanner